231
11|9|12

खण्ड - 9 संख्या - 13, 15, 16, 17

सत्यमेव जयते

# नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

---

## नवम् सत्र

---

## ( भाग-2, कार्यवाही प्रश्नोत्तर-रहित )

मंगलवार, तिथि : 12 जुलाई, 1988 ई०

बृहस्पतिवार, तिथि : 14 जुलाई, 1988 ई०

शुक्रवार, तिथि : 15 जुलाई, 1988 ई०

सोमवार, तिथि : 18 जुलाई, 1988 ई०

---

## कार्यस्थन प्रस्ताव की सूचनाएं

**अध्यक्ष :** श्री छेदी पासवान, श्री अब्दुस सुभान, श्री त्रिवेणी तिवारी एवं श्री शिबू सोरेन का कार्यस्थगन प्रस्ताव आया था। ये नियमानुकुल नहीं है। अतः इन सभी को अमान्य किया गया।

(इस अवसर पर सदन में भारी शोरगुल)

**अध्यक्ष** (अपने आसन पर खड़े होकर) : माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी काम सदन के नियम से चलेगा। किसी बात को लेंकर सदन का इतना समय नहीं लें।

(शोरगुल)

**श्री राम लखन सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह ने एक गम्भीर आरोप लगा दिया है बिहार भवन कैन्टीन के संबंध में और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि साबित करेंगे। इनके ये गम्भीर आरोप अनर्गल हैं जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। इनको पूरे सबूत के साथ आना चाहिए। बिना सबूत के कोई बात नहीं होनी चाहिए।

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** समय दीजिये, इसका प्रमाण मैं आपके कक्ष में दिखा दूंगा।

**अध्यक्ष :** अब इतनी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। चिन्ता का बिन्दु एक ही है जो इन्होंने व्यक्त किया है वह सरकार के ध्यान में गयी है।

**श्री अवध बिहारी चौधरी** : इन्होंने नियम के खिलाफ कौन सी बात कही है। माननीय सदस्य ने वहां की गड़बड़ी के संबंध में कहा है।

**अध्यक्ष** : वहां की गड़बड़ी, वहां की व्यवस्था या बन्दोबस्ती की बात नहीं की है बल्कि कोई अभियोग लगाया है।

(सदन में शोरगुल)

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय आसन पर खड़े हो गए)

**अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। अब इस तरह से बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी। माननीय सदस्य श्री मो. हुसैन आजाद एवं अन्य मा. सदस्यों की ध्यानाकर्षण पर मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा उत्तर दिया जायेगा।

**श्री मुंशी लाल राय** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि राम लखन बाबू ने कुछ सवाल उठाया था उसमें हम एक व्यवस्था चाहते हैं कि जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में अगर कोई सवाल उठेगा तो उसके लिए भी कागज दिखाने का नियम है तो बता दीजिये। विधान सभा में ऐसा कोई नियम और प्रावधान नहीं है इसलिए जो आरोप उन्होंने लगाया है वह नियम विरूद्ध नहीं है उसे एक्सपंज नहीं किया जा सकता है।

**अध्यक्ष** : मैंने जहां तक एक्सपंज करने की बात कही है जहां पर उन्होनें स्पष्ट रूप से अभियोग लगाते हुए बेबुनियाद बात कही है

जिसका जिक्र नहीं होगा।

(सदन में शोरगुल)

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

**अध्यक्ष** : कोई सीमा होनी चाहिए।

**श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं......

**अध्यक्ष** : अभी बैठिये। अभी हाउस को शान्त होने दीजिये फिर मैं सुनूंगा। माननीय सदस्य श्री छेदी पासवान अपनी बात कहें।

**श्री छेदी पासवान** : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत धोबही में अपराधकर्मियों द्वारा सात व्यक्तियों की हत्या किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे ने बक्सर अस्पताल में पीड़ित परिवार में जीवित एक मात्र बच्ची संजू कुमारी को 20 हजार रुपए देने एवं पीड़ित परिवार की जमीन पर सरकारी देख-रेख में खेती कराने की घोषणा की थी, लेकिन अबतक न तो संजू कुमारी को उक्त राशि ही मिली है, और आज तक उनका खेती परती पड़ा हुआ है। इस घटना को घटित हुए करीब सात महीने हो गए हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से इस दिशा में समुचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं।

**श्री अब्दुस सुभान** : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां जिलान्तर्गत वायसी थाना के ग्राम बजड़डीह शर्मा टोली में दिनांक 7 जुलाई, 1988 को

रात के लगभग 1.00 बजे अमौर थाना के थाना प्रभारी श्री विनोद नारायण अपना मोटर साईकिल सड़क पर लगाकर श्री तुलसी शर्मा के आंगन में घुस गया। घरवालों ने उसे असामाजिक तत्व समझ कर पकड़ लिया। इसकी खबर वायसी और अमौर थाना को मिलते ही दोनों थाना के प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ बजड़डीह शर्मा टोली पर हमला बोल दिया और 11 निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर मारपीट कर थाने में लाकर कई लोगों के सर के बाल बलपूर्वक उखाड़ दिए। 70 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन पानेवाले कालू शर्मा को भी मारा-पीटा और सब के साथ उसे जेल भेज दिया गया। वहां बलात्कार की भी चर्चा है। लोग पुलिस के भय से गांव छोड़कर फरार हो गए हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर इसपर बहस करायी जाय क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

**अध्यक्ष** : मैंने कहा कि यह अमान्य हो चुका है।

**श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में मेरे मित्रों ने बार-बार चर्चा की है विधायक आवासों की स्थिति के बारें में, आज वहां की ऐसी स्थिति है कि हमलोग समय पर सदन में नहीं आ सकते हैं। आपके आदेश के अनुसार और नियम के अनुसार हम तीस विधायकों ने लिखकर दिया है कि इस पर सदन में चर्चा हो। विधायक आवास में आज पानी नहीं मिल रहा है, दीवाल चू रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने कहा कि अनुशासित होकर हम अपनी बातें करें तो इससे ज्यादा क्या अनुशासित हो सकते हैं कि हमलोगों ने लिखकर दिया है। जब बिहार के 324 विधायक जहां रहते हैं वहां की ऐसी स्थिति है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति

हो सकती है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। हमलोगों ने जो लिखकर दिया है उसपर चर्चा करायी जाय।

**अध्यक्ष** : इस संबंध में सदन में अनेकों बार आपकी सुविधा की वाते हुई, मैंने बताया था कि मैंने अप्रील में बैठक की और सदन में भी अनेक अवसरों पर इस बात का जिक्र किया गया। यह बहुत ही गम्भीर बात है, इसकों बार-बार मैंने कहा है। मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय अविलम्ब कार्रवाई करके माननीय सदस्यों की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करें।

**श्री त्रिवेणी तिवारी** : अध्यक्ष महोदय, बिहार के नगर निगमों, नगरपालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्र समितियों एवं जल पर्षदों के 30 हजार कर्मचारी 24 मई 1988 से हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारियों में 22 हजार मंत्री एवं मेसतर हैं। हड़ताल 7 सूत्री मांगों की पूर्त्ति के लिए है जो अत्यंत न्यायसंगत है। समाज के सबसे कमजोर तबकों के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगो के प्रति सरकार की जिद से सारे राज्य में फैली गन्दगी से महामारी फैल रही है समझौता कर हड़ताल समाप्त कराने में सरकार विफल है। अतः हम प्रस्ताव करते हैं कि सभी कार्यों को रोक कर लोक महत्व के इस विषय पर विमर्श हो।

**अध्यक्ष** : यह अस्वीकृत किया जा चुका है। इसपर एक ध्यानाकर्षण एक्सेप्ट कर लिया गया है, सदन को मौका मिलेगा, आप विचार करेंगें।

**श्री शिबू सोरेन** : अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज जिला के राजमहल थानान्तर्गत राधानगर ओ.पी. के तत्कालीन दारोगा के.सी. घोष ने राधानगर की महिला शान्ति देवी के साथ 14 मई के 12 वजे रात्रि में बलात्कार

का प्रयास किया। शान्ति देवी द्वारा हृदय विदारक शोर सुनकर उक्त गांव की महिला मालती किस्कू ने शान्ति देवी पर सवार दरोगा पर डंडा से प्रहार किया। ग्रामीणों की भीड़ को देख भागते हुए दारोगा का आधा कुर्ता फटकर शान्ति देवी के हाथ रह गया। दारोगा का अवैध संबंध उक्त गांव की गायत्री देवी से है जहां उन्होंने पनाह लिया। रात भर सैकड़ो जनता ने घेर कर रखा सुबह बड़हड़वा थाना के दारोगा ने उक्त दारोगा को मुक्त कराया। आरक्षी अधीक्षक, साहेबगंज ने एक ओर घटना को सत्य पाकर दारोगा को निलंबित कर गिरफ्तारी का आदेश दिया तो दूसरी ओर दारोगा को भरपूर मदद कर आतंक मचाए हुए हैं। 13 निर्दोष ग्रामीणों को 2 माह से जेल में बन्द रखा है और पुलिस न्यायालय में डायरी नहीं भेज रही है। 24 निर्दोष व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है एवं सैकड़ों को बेनामी अभियुक्त बनाया गया है। विगत एक जुलाई को भी जेल भेजने से जनता में भयंकर आतंक व्याप्त हो गया है। ग्रामीण गांव छोड़ कर भाग रहे हैं। अतः सदन की सारी कार्रवाई को रोकते हुए इस गंभीर समस्या पर विचार विमर्श हो।

**अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपकी सूचना अमान्य कर दी गयी है, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री ध्रुव भगत** : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है।

**अध्यक्ष** : कोई नई बात ?

**श्री ध्रुव भगत** : अध्यक्ष महोदय, वह दारोगा किसी को पकड़कर जेल भेज देता है, आतंक मचाये हुये है, किसी औरत के साथ बलात्कार करता है। इसपर कहीं कारवाई नहीं हो रही है। राधानगर का दारोगा

और डी.एस.पी. पूरे इलाके में आतंक मचाये हुये है।

**अध्यक्ष** : अब इसपर छोड़िये। आप बैठ जाईये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री ध्रुव भगत** : अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित कर दीजिये।

(इस अवसर पर विरोधी बेंच के कई माननीय सदस्य का एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे जिससे काफी शोरगुल हो रहा था।)

**अध्यक्ष** : इस घटना के संबंध में सरकार को अविलम्ब कारवाई की जानकारी लेनी चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई हो सके वह भी करनी चाहिए।

## अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण एवं उनपर सरकार का वक्तव्य

**श्री नागेन्द्र झा** : अध्यक्ष महोदय,

(इस अवसर पर काफी शोरगुल हो रहा था और माननीय सदस्य श्री ध्रुव भगत तथा माननीय सदस्य श्री साईमन मरांडी सदन के बीच में दरी पर बैठ गये।)

**अध्यक्ष** : आपने सुना मैंने कहा सरकार इस सारे मामले को जांच कराकर कार्रवाई करे। माननीय सदस्य उठिये।

**अध्यक्ष** : (खड़े होकर) : माननीय सदस्य आप अपनी जगह पर जाईये।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर दोनों